समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

कँवल तनुज भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
:- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

–:: आदेश ::–

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के **CFMS Order No.–851, 853, 855 एवं 857/आ०प्र० दिनांक 03.05.2019 तथा 11185, 11186 एवं 11187/आ०प्र० दिनांक 09.03.2020** द्वारा वित्तीय **वर्ष 2019–20** में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य बजट **शीर्ष–2245** प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप **मुख्य शीर्ष–02** बाढ़ चक्रवात आदि, **लघुशीर्ष–101**–अनुग्रहिक राहत, **उपशीर्ष–0002**–खाद्यान्न की आपूर्ति **विपत्र कोड–39-2245021010002 मद में मो० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रुपये, उपशीर्ष–0005**–आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान **विपत्र कोड–39-2245021010005 मद में मो० 22,00,000.00 (बाईस लाख) रुपये, उपशीर्ष–0006**–आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान **विपत्र कोड–39-2245021010006 मद में मो० 22,00,000.00 (बाईस लाख) रुपये एवं उपशीर्ष–0007**–आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान **विपत्र कोड–39-2245021010007 मद में मो० 22,00,000.00 (बाईस लाख) रुपये, विषय शीर्ष–37 01 एवं 35 01 नगद/वस्तु, मांग संख्या–39 के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन में से संलग्न् सूची अनुलग्नक–I के अनुसार संबंधित अंचल पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने शीर्षवार पूर्व में उपावंटित राशि के अतिरिक्त "वर्तमान में उपावंटित" राशि का उपावंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।**

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि **अग्नि से प्रभावित/पीड़ित परिवारों के बीच भुगतान की गई राशि के समायोजन एवं भुगतान** विभागीय मानदर/सरकारी दिशा–निर्देशो के आलोक में करेंगे तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नही करेंगे। यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेंगे तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक 25.03.2020** तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। **यह आवंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक–2561 {वि०(2)} दि०–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशो को अक्षरशः पालन किया जाय। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदा० ही जिम्मेदार होंगे।

आपदा प्रभावित परिवारों को देय की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिशिचित करेंगे।

<u>अनु०– सूची अनुलग्नक–I संलग्न्</u>

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 350/आ०प्र० II – I & XVIII - 12/2016-17, दिनांक 23/03/2020

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

F:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment Letter2.docx

अनुलग्नक--I

कटिहार जिलान्तर्गत अंचलवार अग्नि कांड से पीड़ित/प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि का समायोजन एवं भुगतान हेतु शीर्ष-2245 के निमित विभिन्न ईकाई मद के अन्तर्गत उपावंटित की जाने वाली/गई राशि की विवरणी (वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 18.03.2020 तक अद्यतन लाभुकों की संख्या)।

क्र०	अंचल का नाम	अग्नि कांड से पिड़ित / प्रभावित परिवारों की संख्या	शीर्ष 2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति आग लगने से राहत कार्य के लिए (खाद्यान्न के बदले नगद राशि) अनुदान 39-2245021010002 विषय शीर्ष-37 01 नगद/वस्तु (@ 3000 प्रति परिवार)				शीर्ष 2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान 39-2245021010005 विषय शीर्ष-35 01 नगद/वस्तु (@ 3000 प्रति परिवार)				शीर्ष 2245-02-101-0006- आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान 39-2245021010006 विषय शीर्ष-35 01 नगद/वस्तु (@ 4100 प्रति परिवार)				शीर्ष 2245-02-101-0007- आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान 39-2245021010007 विषय शीर्ष-35 01 नगद/वस्तु (@ 3800 प्रति परिवार)			
			विभाग से प्राप्त आवंटन	पूर्व में उपावंटित राशि (वर्ष 2019-20 के दौरान)	वर्तमान में उपावंटित राशि	अवशेष राशि	विभाग से प्राप्त आवंटन	पूर्व में उपावंटित राशि (वर्ष 2019-20 के दौरान)	वर्तमान में उपावंटित राशि	अवशेष राशि	विभाग से प्राप्त आवंटन	पूर्व में उपावंटित राशि (वर्ष 2019-20 के दौरान)	वर्तमान में उपावंटित राशि	अवशेष राशि	विभाग से प्राप्त आवंटन	पूर्व में उपावंटित राशि (वर्ष 2019-20 के दौरान)	वर्तमान में उपावंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	कटिहार	9		9,000.00	18,000.00			9,000.00	18,000.00			12,300.00	24,600.00			11,400.00	22,800.00	
2	हसनगंज	23		69,000.00	-			69,000.00	-			94,300.00	-			87,400.00	-	
3	डंडखोरा	0		-	-			-	-			-	-			-	-	
4	प्राणपुर	10		12,000.00	18,000.00			12,000.00	18,000.00			16,400.00	24,600.00			15,200.00	22,800.00	
5	मनसाही	29		48,000.00	39,000.00			48,000.00	39,000.00			65,600.00	53,300.00			60,800.00	49,400.00	
6	कोढ़ा	39		66,000.00	51,000.00			66,000.00	51,000.00			90,200.00	69,700.00			83,600.00	64,600.00	
7	फलका	38		1,14,000.00	-			1,14,400.00	-			1,55,800.00	-			1,44,400.00	-	
8	कुर्सेला	28	15,00,000.00	-	84,000.00	36,000.00	22,00,000.00	-	84,000.00	7,35,600.00	22,00,000.00	-	1,14,800.00	1,99,200.00	22,00,000.00	-	1,06,400.00	3,45,600.00
9	बरारी	25		-	75,000.00			-	75,000.00			-	1,02,500.00			-	95,000.00	
10	समेली	9		-	27,000.00			-	27,000.00			-	36,900.00			-	34,200.00	
11	मनिहारी	24		9,000.00	63,000.00			9,000.00	63,000.00			12,300.00	86,100.00			11,400.00	79,800.00	
12	अमदाबाद	32		-	96,000.00			-	96,000.00			-	1,31,200.00			-	1,21,600.00	
13	कदवा	22		-	66,000.00			-	66,000.00			-	90,200.00			-	83,600.00	
14	आजमनगर	37		51,000.00	60,000.00			51,000.00	60,000.00			69,700.00	82,000.00			64,600.00	76,000.00	
15	बारसोई	156		2,28,000.00	2,40,000.00			2,28,000.00	2,40,000.00			3,11,600.00	3,28,000.00			2,88,800.00	3,04,000.00	
16	बलरामपुर	7		15,000.00	6,000.00			15,000.00	6,000.00			20,500.00	8,200.00			19,000.00	7,600.00	
	कुल योग	488	15,00,000.00	6,21,000.00	8,43,000.00	36,000.00	22,00,000.00	6,21,400.00	8,43,000.00	7,35,600.00	22,00,000.00	8,48,700.00	11,52,100.00	1,99,200.00	22,00,000.00	7,86,600.00	10,67,800.00	3,45,600.00

निकासी के बाद व्यय की ...
नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय ...
सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन ...
रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।